



हमीरपुर पुलिस



दिनांक 06/04/2021

थाना कुरारा

01 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा निम्नलिखित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है।

पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक न ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेगा, उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दी जाय।

जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण:-

1) अजय प्रताप सिंह उर्फ वीरू सिंह पुत्र श्री हरिगोपाल निवासी वार्ड नं0 9, कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।